संख्याः 76/III (3)/13–02(एस0पी0ए0)/13

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 14 फरवरी, 2013

विषयः–विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत जिला देहरादून के बल्लीवाला चौक पर 4–लेन फ्लाई ओवर निर्माण, प्रथम चरण के कार्य की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–44 (3) उत्तराखण्ड–एस0पी0ए0/पी0एफ0–1/2011–1113, दिनांक 21.12.2012 एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–376/113(6) रा0मा0–नि0–2/2012, दिनांक 07.02.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत जिला देहरादून में बल्लीवाला चौक पर ऊपरिगामी सेतु निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्य के लिए ₹ 145.01 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य के लिए ₹ 1299.03 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 1444.04 लाख (₹ चौदह करोड़ चवालीस लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 630.00 लाख केन्द्रांश एवं ₹ 70.00 लाख राज्यांश कुल ₹ 700.00 लाख (₹ सात करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) शासनादेश संख्या–2047/IXIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 एवं संख्या–484/वि.आ.निदे./2010, दिनांक 19.04.2010 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(viii) उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252/III(3)/2011–901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, तो उस योजना हेतु इस शासनोदश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) धनराशि जिस कार्य के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय उसी कार्य के लिए किया जाय।

(xi) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। धनराशि लैप्स होने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(xii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं समय–समय पर निर्गत नियम/शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जाय।

(xiii) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संस्तुत धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय करते हुए अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक 5054 सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05 सड़कें, 800 अन्य व्यय, 02 विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़कें/सेतु का निर्माण, 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹ 1444.04 लाख (₹ चौदह करोड़ चवालीस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹ 700.00 लाख (₹ सात करोड़ मात्र) का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0सं0–S1302220227 दिनांकः 14.02.2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–990/XXVII(2)/2012, दिनांक 13 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्या– 76/III(3)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. शोध अधिकारी, योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अधीक्षण अभियंता, 10वॉ रा0मा0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।